आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– BRRDA(HQ) MMGSY(NDB) 242/19 Part II 856 /पटना, दिनांक– 26.8.21

प्रेषक,

संजय दूबे भा०प्र०से०
विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : मुख्यशीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103–ग्राम विकास, समूह शीर्ष–राज्य योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष–0519–मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना [NDB(BRICS) सम्पोषित], जिसका विपत्र कोड संख्या–37–4515–00–103– 0519 है, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना [NDB(BRICS) सम्पोषित] के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए निम्नलिखित योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु अलग–अलग योजनाओं के लिए पथवार/पुलवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत [NDB(BRICS) सम्पोषित] वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए पथ निर्माण की कुल 02(दो) पथों एवं इसके आरेखण पर पड़ने वाले एक RCC Box Bridges एवं एक RCC Bridges के निर्माण एवं इनके पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ–11 में पथ एवं पुल के लिए अंकित राशि की प्रशासनिक अनुमोदन स्तम्भ–12 के अनुसार प्रदान किया जाता है।

तालिका

Sl No.	District	Division	Block	Habitation	Population		Road From	Road To	State Link No	Length as per DPR (In km)	Estimated Cost (In Lacs)	Total Technical Approval Amount (In Lacs)
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1	Saharsa	Saharsa	Nauhatta	परताहा पू टोला	799	A	Harishchandra Yadav House	Fataha Kabristaan	S011	3.347	561.290	747.470
						B	RCC Box Bridge of size (5cell x 8.0M x4.0M) at ch. 0+100 M of Road-Harishchandra Yadav House to Fataha Kabristaan			43.60M	186.180	
2	Madhubani	Benipatti	Bisfi	मच्छा हाट दक्षिणी टोल	410	A	Singhiya purbi	Machha Hat Dakshini Tol	S010	2.844	294.761	529.860
						B	RCC Bridge of size (2 x 12.50M) at ch. 930.00 M of Road-Singhiya purbi to Machha Hat Dakshini Tol			28.12M	235.099	
							Total Road Length			6.191	1277.330	1277.330

23/8/2021.

C:\Users\Administrator\Desktop\BRRDA(HQ)MMGSY(NDB)-242-19/Part II AA letter

2. माननीय विभागीय मंत्री द्वारा दिनांकः–**28.07.21** को निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

(क) उक्त योजनाओं को वित्तीय वर्ष, अर्थात वर्ष 2021–22 एवं 2022–2023 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

(ख) संबंधित कार्यपालक अभियंता योजनाओं के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) स्वीकृत योजनाओं की प्रविष्टि State Core Network के मानचित्र पर भी कराये जाने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

(घ) संबंधित कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

3. संबंधित कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडलों योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4. योजनाओं की निविदा, ई–निविदा के माध्यम से मुख्यालय द्वारा करायी जायेगी।

5. कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी। किये गये कार्यो का भुगतान गुणवत्ता के जाँच फल के गुण–दोष के आधार पर किया जायेगा।

6. कार्यो का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की मार्गदर्शिका एवं NDB से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में किया जायेगा।

7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त के पूर्व एवं डी0पी0आर0 के साथ Social and Enviornment से संबंधित प्रपत्र संलग्न कराने की जिम्मेवारी संबंधित अधीक्षण अभियंता की होगी।

8. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद् की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9. मुख्यशीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103–ग्राम विकास, समूह शीर्ष–राज्य योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष–0519–मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना [NDB(BRICS) सम्पोषित], जिसका विपत्र कोड संख्या–37–4515–00– 103–0519 है, मुख्यमंत्री ग्राम संम्पर्क योजना (NDB सम्पोषित) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(क) मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना [NDB(BRICS) सम्पोषित],के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

(ख) वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि(2), दिनांक–03.01.2008 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों को आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

23/8/2021

C:\Users\Administrator\Desktop\BRRDA(HQ)MMGSY(NDB)-242-19/Part II AA letter

(ग) यह राशि उसी मद मे खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

(घ) प्राक्कलन कि विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(ड़) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अन्तराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।

10. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

11. पथों में प्रस्तावित उच्च स्तरीय पुलों के DPR की समीक्षा State Technical Agency (STA) से कराये जाने के उपरान्त ही सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया जाना है।

12. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक 28.07.21 को संचिका संख्याः– BRRDA(HQ) MMGSY(NDB)-242/19 Part II के पृष्ठ–39/टि0 पर प्राप्त है।

13. इस योजना मद् में व्यय, बजट से प्राप्त राशि की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

14. यह आदेश वित्त विभाग की संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका–4 में निहित प्रावधान के आलोक में एवं संचिका संख्याः– BRRDA(HQ) MMGSY(NDB)-242/19 Part II के पृष्ठ–42/टि0 पर दिनांकः– 12.08.2021 को विभागीय सचिव के आदेशानुसार आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– BRRDA(HQ) MMGSY(NDB)-242/19 Part II के पृष्ठ संख्याः– 42/टि0 पर दिनांकः– 12.08.2021 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

23/8/2021

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: BRRDA(HQ) MMGSY(NDB)-242/19 Part II 856 /पटना, दिनांक– 26.8.21

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उपविकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–1, 2, 3, पटना/मुख्य अभियंता–4/संबंधित अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Nodal, ग्रामीण कार्य विभााग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/8/2021

सरकार के विशेष सचिव

C:\Users\Administrator\Desktop\BRRDA(HQ)MMGSY(NDB)-242-19/Part II AA letter